# माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री विजेन्द्र जैन जी द्वारा फिलौर(जालंधर) में 18.3.2007 को न्यायिक परिसर की आधारशिला रखने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सम्बोधन

Punjab & Haryana High Court से आए हुए मेरे तमाम साथी जज साहिबान, मेहताब सिंह गिल साहब जो कि पंजाब की Building Committe के Chairman हैं उमा नाथ सिंह साहब जो Jalandhar Sessions Division के प्रशासनिक जज हैं, Deputy Commissioner साहब, S.S.P साहब और हमारे अनमोल रतन सिद्धू जो Punjab & Haryana High Court Bar के President और अमनदीप सिंह, Secretary हैं।

ये जो Judiciary है उसमें सबसे ज्यादा अगर लोग सम्पर्क में आते हैं तो वो Subordinate Judiciary के सम्पर्क में आते हैं। 80-90% लोगों को Sub-Divisional Courts में जाना होता है। तो हमारे जो अफसर हैं निचले स्तर पर, अगर उनकी कार्य करने की जगह ठीक नहीं होगी और जो Consumer of Justice है, litigants हैं, उनको सुविधाएं नहीं होंगी तो लोग समझते हैं कि न्यायालय में जाने में जैसा कि उमा नाथ सिंह जी ने कहा कि वो temple है, मंदिर है, न्याय का मंदिर है। तो लोग समझते हैं कि अगर न्यायालय में जा रहे हैं तो किसी जेल के अंदर जा

रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हमको अपने न्यायिक परिसर में वो तमाम सुविधाएं मुहैया करानी चाहिएं जिससे लोगों को ये महसूस हो कि वो सचमुच न्याय के मंदिर में जा रहे हैं। इसलिए जब से मैंने Punjab and Haryana High Court के Chief Justice का पदभार संभाला मैंने कहा कि जितनी भी पंजाब के अंदर District Court, Sub-Divisional Courts बनेंगी, वो सब Air-conditioned Court होनी चाहिएं। मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब सरकार ने, यहां के अधिकारीगण, यहां के Officers ने इस बात को समझा भी और सराहा भी और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो Engineer और Chief Architect हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप इसको बनाने में कितना समय लेंगे। उन्होंने कहा कि साहब हम इसको 15 महीनों में बना देंगे। इसलिए मैंने यह भी कहा है कि जहां-जहां भी हमारे Complex बनें, वहां पर lawyers के chambers भी बनने चाहिएं और मुझे खुशी है कि इस Complex में भी first phase के अंदर 80 lawyers chamber यहां पर बनेंगे और दूसरे फेज़ के अंदर 40 और lawyers chamber बनने की गुजांइश यहां पर रखी गई है। इसी तरह से Judicial Complex को अभी जहां पर सिर्फ तीन कोर्ट होंगी, प्रावधान किया गया है कि उसके ऊपर 3rd Storey भी बन सके और ultimately छह जज साहिबान यहां पर बैठ सकें। बाकी

जो तमाम सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिएं, वो भी यहां पर होंगी। परन्तु मैं आप तमाम लोगों से, फिलौर के नागरिकों से, फिलौर की Bar से, फिलौर के अधिकारीगण से आशा करता हूँ कि यह construction time के अनुसार पूरी हो जाए।

मैं कल किसान university गया। लाखों की तादाद में वहां पर किसान थे। मुझसे एक सवाल पूछा वहां पर क्योंकि यहां पर media के लोग बैठे हैं। मैंने उसकी आज रिपोर्ट पढ़ी। उसमें मैं थोड़ी correction चाहता था। सारे भारत में दो करोड़ 65 लाख cases आज की स्थिति के अंदर pending हैं और मुनसिफ की कोर्ट से लेकर Supreme Court तक सिर्फ 11 हजार जज साहिबान हैं और मजे की बात यह है कि हर साल उन दो करोड़ 65 लाख मुकदमों में से दो करोड़ 45 लाख मुकदमें तय किए जाते हैं, adjudicate किए जाते हैं। तो जो मैं context में correction चाहता था। उन्होंने कहा कि साहब पंजाब हाई कोर्ट में, हरियाणा हाई कोर्ट में कितने मुकदमे pending हैं। हमने कहा Punjab and Haryana High Court में और Union Territory, Chandigarh को मिलाकर के करीब-करीब दो लाख 60 हजार मुकदमें pending हैं और आज सिर्फ Punjab and Haryana High Court में हम 34 जज हैं। तो मैंने कहा कि ये जो मापदंड है कि एक जज के पास कितनी फाईल होनी चाहिएं। Malimath

Committee के हिसाब से भी, Law Commission की रिपोर्ट के हिसाब से भी एक जज और फाईल का ratio 500 है। 500 files to one Judge. अब आप हिसाब लगाइये। तो मैंने कहा कि एक हाई कोर्ट के जज के पास 8,000 से 10,000 फाईल pending है। Almost 8,000 to 10,000 files are with one Judge of High Court and similarly जो Sub-Divisional Court के हमारे जज हैं वहां 5,000 से 9,000 तक फाईल उनके पास pending हैं। District & Sessions Judges और Additional District & Sessions Judges, उनके यहां 3,000 से 6,000 फाईल pending हैं। Shortage of man power is one of the basic reason. मुकदमों की तारीख लम्बी क्यों पड़ती है और मुकदमें समय से क्यों नहीं तय किए जाते? न्यायपालिका के अंदर वो ही न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति है और वो ही प्रजातंत्र की गारण्टी है। क्योंकि अगर न्यायपालिका बीच में से हट जाएगी तो Rule of law हट जाएगा। Rule of law अगर खत्म हो गया तो chaos or anarchy.

मैं आज इस मौके पर फिलौर जो एक ऐतिहासिक शहर है और ऐतिहासिक शहर के अलावा तमाम मजहब के लोगों को फिलौर ने देखा है। आप सबसे एक अपील जरूर करना चाहता हूँ, भ्रूण हत्या के सिलसिले में हमने जो 2007 को एक लक्ष्य रखा है। पंजाब सारे भारत में सबसे अग्रणी राज्य है परन्तु

किसी अभिशाप के कारण लड़के और लड़कियों के अनुपात में सबसे पीछे है। ऐसा क्यों है? बहनों को, हमारे नौजवान साथियों को, भाईयों को, बच्चों को इस अभिशाप से, इस कुरिति से लड़ना चाहिए। एक नन्ही मुन्नी लड़की जो कोख के अन्दर है, गर्भ के अन्दर है, वो हर एक पंजाबी से पूछती है कि मेरा क्या कसूर है। मेरे को क्यों नहीं जन्म लेने दिया जाता। मुझे जन्म से पहले क्यों मार दिया जाता है। आपको अपने हृदय में टटोल करके इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ भी लड़ना चाहिए।

उमा नाथ सिंह जज साहब ने कहा, 25 साल से मेरा इनसे परिचय है, बिल्कुल ठीक है। पता नहीं इनको भगवान ने तीसरी आंख दी है। मैं जब 1984-85 में मध्यप्रदेश सरकार का Supreme Court में Senior Standing Counsel बना तो उमा नाथ सिंह जी मुझे assist करते थे। मुझे Supreme Court or High Court के बीच में भगाते रहते थे। एक दिन हम इनके पास बैठे थे। इन्होंने हमारा हाथ देख लिया और उन्होंने कहा Sir, आप तो जज होने वाले हैं और वो शायद जो इनकी तीसरी जो आंख होती है उस वजह से हम भी इस बंधन के अन्दर आ गये।

मैं फिलौर के तमाम नागरिकों का तथा आप सब का बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे इतने आदर और सम्मान सहित फिलौर

आने का मौका दिया और मुझे उम्मीद है कि आप इस न्यायिक परिसर को ही नहीं बल्कि जो ये सामाजिक कुरिति है उसके खिलाफ भी अपना योगदान प्रदान करेंगे।

धन्यावाद। जय हिन्द।